मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष व्यास ने दिया अहम फैसला

सिलिकोसिस मरीजों की समस्याओं पर आयोग गंभीर

प्रदेश भर के मिनरल फाउंडेशन व अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

नवज्योति/ जोधपुर। पाली सहित प्रदेशभर में सिलिकोसिस मरीजों की समस्याओं को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण व्यास ने गंभीरता से लिया है। वहीं जिला मिनरल फाउंडेशन और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। परिवादी वैभव भण्डारी ने मानवाधिकार आयोग के समक्ष परिवार पेश कर बताया था कि पाली जिले में करीब 298 सिलिकोसिस के मरीज सामने आ चुके है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होने के बाद भी पाली जिले में स्थापित मिनरल फाउंडेशन कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। करोड़ों रूपये का बजट होने के बावजूद भी श्रमिकों एवं सिलिकोसिस मरीजों के लिए कोई विशेष योजना अथवा सहायता प्रदान नहीं की जा रही हैं। खनन क्षेत्रों में समय-समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही हैं। वहीं जिला स्तर पर चिकित्सा शिविर आयोजित होने के कारण खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों तक जानकारी भी नहीं पहुंच पाती हैं।

आयोग अध्यक्ष ने दिए सख्त निर्देश

आयोग अध्यक्ष न्यायाधिपति व्यास ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में गठित / स्थापित मिनरल फाउंडेशन प्रत्येक माह में एक निश्चित स्थान पर शिविर का आयोजन करेगा। फाउंडेशन नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलायेगा एवं मजदूरों की सुरक्षा के लिए उपकरण वितरण करेगा। नियमों के तहत सिलिकोसिस रोग से पीड़ित मजदूरों को यथासंभव उनके इलाज में होने वाला व्यय उपलब्ध कराएगा। बजट में आवंटित राशि को खनन कार्य करने के दौरान श्रमिकों के उपकरणों पर खर्च किया जाए। हर जिले में पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना की जावे, जिससे सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों एवं उनके परिवारों की देखभाल आर्थिक सहायता देकर की जा सके। यह भी निर्देश दिया गया कि सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को एवं उनके परिवारजन को क्षतिपूर्ति राशि तुरंत प्रभाव से मुहैया कराई जावे। आयोग द्वारा पारित उपरोक्त निर्देशों की पालनार्थ यह आदेश प्रमुख शासन सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान जयपुर तथा प्रत्येक जिले के जिला कलक्टर्स को प्रेषित किया जाकर निर्देश दिए गए।

प्रसंज्ञान लेकर मांगी रिपोर्ट

जिस पर आयोग अध्यक्ष व्यास ने 5 मार्च 2018 को प्रसंज्ञान लेते हुए खनि अभियंता, जिला पाली से प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई थी। रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया गया कि पाली जिले में खनिज सेण्ड स्टोन को कोई खनन पट्टा अथवा क्यारी लाईसेंस प्रभाव में नहीं है। ना ही जिले में कहीं सेण्ड स्टोन उपलब्ध हैं। जिले में संचालित खनन क्षेत्रों में सिलिकोसिस रोग की ज्यादातर सिलिकोसिस पीड़ित अन्य कार्यालय क्षेत्राधिकारों के हैं। वर्तमान कार्यालय खनि अभियंता स्तर पर प्रकरणों की संख्या शून्य हैं। उधर, रिपोर्ट पर परिवादी से आयोग ने प्रतिक्रिया मांगी। परिवादी ने बताया कि शिविर जिला स्तर पर आयोजित किये जाते हैं। जिससे खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती हैं। मिनरल फाउंडेशन के माध्यम से खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच, रोकथाम एवं बचाव के लिए उपकरण वितरण, बिमारी के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि कार्य प्रमुखता से किये जाने चाहिए।